उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1956)

THE U.P. SUGARCANE CESS ACT, 1956

(U.P. Act No. XXII of 1956)

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1956]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 21 जून, 1956 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 23 जून, 1956 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

फैक्टरियों में प्रयोग, उपभोग अथवा उनको विक्रय के निमित्त अभिप्रेत पर उपकर (cess) लगाने से सम्बद्ध विधि को संशोधित तथा संग्रहीत करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि [2][फैक्टरी तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] में प्रयोग उपभोग अथवा उनको विक्रय के निमित्त अभिप्रेत गन्ने पर उपकर लगाने से सम्बद्ध विधि को संशोधित तथा संग्रहीत किया जाये ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, 1956 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा धारा 2 और 3 तथा 5 से 8 तक के उपबन्ध 26 जनवरी, 1950 को तथा से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।

परिभाषायें

2–विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में, शब्द तथा पद––

(क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) से तात्पर्य है वह दिनांक जब यह अधिनियम पहले–पहले सरकारी गजट में प्रकाशित हो ।

[3][(ख) शब्द 'गन्ना', 'फैक्टरी', 'गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई', 'फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का अध्यासी', तथा 'राज्य सरकार' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में दिये गये हैं तथा शब्द 'गन्ना आयुक्त' तथा 'शक्कर आयुक्त' के वही अर्थ होंगे जो उस अधनियम में क्रमशः शब्द 'गन्ना कमिशनर' तथा 'चीनी कमिशनर' के दिये गये हैं ;]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 24 अप्रैल, 1956 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 3(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) "फैक्ट्री के स्वामी" के अन्तर्गत [1][फैक्ट्री तथा गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] का अध्यासी तथा वह व्यक्ति––उसका नाम चाहे वह भी हो––है, जिसका फैक्ट्री के मामलों पर अंकित नियंत्रण हो ।

उपकर का लगाया जाना

3– [2][(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भू–गृहादि (premise) में प्रयोग, उपभोग अथवा किसी के निमित्त लाये गये गन्ने पर पच्चीस नये पैसे प्रतिमन से अनधिक उपकर (cess) लगा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा फैक्टरी और गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के लिये उपकर की भिन्न–भिन्न दरें निर्धारित की जा सकती हैं ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके फैक्टरी प्रथवा गुड़, राव या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई में प्रयुक्त अथवा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के संबंध में उस विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सीमित प्रयोजन के लिये उक्त उपकर की पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है।

स्पष्टीकरण – यदि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी फैक्ट्री अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के संबंध में इस प्रकार की घोषणा करे तो उस फैक्टरी अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई में प्रयोग, उपभोग अथवा विक्रय किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा अपेक्षित गन्ने की खरीदारी के लिये निर्दिष्ट (set apart) उत्तर प्रदेश में स्थित कोई स्थान उस फैक्ट्री प्रथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई का, जैसी भी दशा हो, भूगृहादि समझा जायगा।**]**

(2) उपधारा (1) के अधीन लगाया गया उपकर फैक्ट्री [3][अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई] के स्वामी द्वारा देय होगा तथा वह ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर दिया जायगा जो विहित किया जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन विहित दिनांक को अदत्त उपकर की प्रत्येक बकाया पर एसे दिनांक से भुगतान के दिनांक तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा।

(4) राज्य सरकार उपकर के अवधारण तथा उसकी वसूली के प्रयोजनार्थ अधिकारियों तथा प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है तथा ऐसे रीति भी विहित कर सकती है जिसके अनुसार उपकर अवधारित और वसूल किया जायेगा ।

(5) जब किसी व्यक्ति पर उपकर की अदायगी बाकी हो तो उपकर वसूल करने के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी यह आदेश दे सकता है कि बकाया धनराशि तथा ब्याज के साथ–साथ, उसके 10 प्रतिशत से अनधिक धनराशि, अर्थ–दंड के रूप में उपकर के देनदार व्यक्ति से वसूल की जाय।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 3(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 4(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 4(2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(6) उपकर की वसूली के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी कलेक्टर के पास एक प्रमाण–पत्र, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे अग्रसारित करेगा जिसमें वह किसी भी व्यक्ति द्वारा देय बकाये और उस पर ब्याज को धनराशि निर्दिष्ट करेगा । प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर कलेक्टर तथा अध्यादेश में निर्दिष्ट धनराशि की वसूली के निमित्त ऐसी कार्यवाही करेगा वहीं वह मालगुजारी की बकाया हो ।

(7) उपधारा (5) के अधीन अर्थदंड के रूप में आरोपित कोई भी धनराशि उसी रीति से वसूली जा सकेगी जिसकी व्यवस्था उपकर की बकाया वसूल करने के संबंध में उपधारा (6) में की गई है।

गुड़ या राब बनाने के लिये लाइसेंस देना

[1][**3–(क)** (1) गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली कोई इकाई, सिवाय उस इकाई के जिसने उत्तर प्रदेश शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने का आदेश, 1959 के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ या राब बनाने से सम्बद्ध कोई प्रक्रिया न करेगी न हाथ में लेंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस के लिये प्रार्थना–पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे आकार में तथा ऐसे शुल्क के खजाने के चालान के साथ, जो नियत किया जाय, दिया जायगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र शक्कर आयुक्त द्वारा यथासम्भव शीघ्र निस्तारित किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा सिवाय उस दशा के जब शक्कर आयुक्त को यह राय हो कि फैक्टरी में गन्ना पेरने की फसल भर पूर्ण रूप से कार्य जारी रखने के लिये गन्ने की पर्याप्त सम्पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है।

(4) उपधारा (3) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के अन्दर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(5) लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में प्रार्थी उस आज्ञा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात् या अपील के अस्वीकृत किये जाने पर दिये गये लाइसेंस शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

(6) यदि प्रार्थी लाइसेन्स प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर उसे स्वेच्छा से वापस कर दे और लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी का इस विषय में समाधान कर दे कि उसने उसके अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया है तो वह लाइसेन्स शुल्क की वापसी का हकदार होगा।

लाइसेंस का नवीकरण

3–(ख)–(1) धारा 3–क के अधीन दिया गया लाइसेंस प्रति वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि के लिये वैध होगा, किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत हो जाने के कम से कम 30 दिन पूर्व प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर तथा ऐसे शुल्क, जो नियत किये जायं, दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुये, उसका नवीकरण समय–समय पर ऐसी अवधि के लिये किया जा सकता है जो 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर बारह मास से अधिक की न हो।

(2) ऐसे विलम्ब शुल्क, जो नियत किये जायं, दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दिये गये या नवीकृत लाइसेंस का नवीकरण उस दशा में भी किया जा सकता है जब उसके लिये प्रार्थना–पत्र उपधारा (1) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के पश्चात् दिया गया हो।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

लाइसेंस के निलम्बन या रद्द किये जाने की शर्त

3–(ग)–(1) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध या लाइसेंस को किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत लाइसेंस निलम्बित या रद्द कर सकता है या उसकेस नवीकरण करने से इंकार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्कर आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन लाइसेंस के रद्द या निलंबित किये जाने से लाइसेंस गृहीता किसी प्रतिकर का या उस लाइसेंस के संबंध में दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार न होगा।

शक्कर आयुक्त के अधिकार

3–(घ)–(1) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये–

(क) किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, तथ्य–लेख (data) या सूचना, जो नियत की जाय, रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ; और

(ख) यदि यह विश्वास हो कि इस अधिनियम का अथवा उसके अधीन बने नियमों का अथवा किसी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, अथवा यदि ऐसे उल्लंघन की आशंका हो तो, किसी गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई के भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है, या किसी इकाई के गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के, बनाने से सम्बद्ध किन्हीं उपकरणों (implements) को जब्त कर सकता है और उन्हें अभिरक्षा में ला सकता है।

(2) शक्कर आयुक्त उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अपने समस्त या किसी अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।**]**[1]

अर्थ–दण्ड

4–यदि कोई व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन लगाया गया उपकर अदा न करे [2] **[**या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करें**],** अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करे तो, धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उसकी अदायगी की उत्तरधारिता (liability) पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुये, वह 6 महीने तक के कारावास या पांच हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनो ही दंड या भोगी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रूपये से अनधिक का अतिरिक्त अर्थदंड दिया जा सकता है ।

कार्यवाहियों की संस्थिति (Institution Proceedings)

5–(1) गन्ना आयुक्त या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, अथवा उनके अधिकार के अधीन किये गये किसी परिवाद (complaint) के बिना इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति (person accused) के प्रार्थना–पत्र पर गन्ना आयुक्त, अथवा आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मैजिस्ट्रेट राजीनामे के शुल्क के रूप में अधिक से अधिक पांच हजार रूपये लेकर उक्त अपराध के संबंध में किसी भी स्तर पर राजीनामा कर सकता है ।

(3) द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से निरन्तर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के विरूद्ध किसी अपराध का परीक्षण नहीं करेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

मैजिस्ट्रेट के विशेषाधिकार

6–कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 32 में किसी बात के होते हुये भी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के लिये, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ विशेषरूप से अधिकृत किया हो, इस अधिनियम या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन किसी वाद (case) का परीक्षण करते समय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभिशस्त (convicted) किसी से व्यक्ति पर पांच हजार रूपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश देना वैध होगा ।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

7–(1) इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा या निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी भी कार्य के लिये किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, परियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा सद्भाव से किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के हुई, अथवा सम्भाव्य, किसी क्षति के निमित्त राज्य सरकार के विरूद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न की जायगी ।

इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त अध्यासी का अवधारण

8–(1) जब किसी [1] [फैक्ट्री अथवा गुड़ राब या खंडसारी बनाने वाली इकाई] का स्वामी कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों को संस्था हो तो उसके भागीदारी के सदस्यों में से काई एक या एकाधिक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए स्वामी माने जायेंगे तथा उन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए अभियोजित तथा दंडित किया जा सकेगा।

(2) जब किसी [1][फैक्ट्री अथवा गुड़ राब या खंडसारी बनाने वाली इकाई] का स्वामी कोई पब्लिक कम्पनी हो तो उसके एक या एकाधिक डाइरेक्टर, अथवा प्राइवेट कम्पनी की दशा में उसके एक या एकाधिक हिस्सेदार (share holder), इस अधिनियम के अधीन जिसके किसी भी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित तथा दकिया जा सकेगा जिसके निमित्त [1][फैक्ट्री अथवा गुड़ राब या खंडसारी बनाने वाली इकाई] का स्वामी दंड्य हो।

9–(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 की धारा 20 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(2) यू0 पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 24 की साधारण प्रयुक्ति (general aapplication) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपकर लागने के लिये प्रचारित प्रत्येक विज्ञप्ति तथा ऐसी विज्ञप्ति के अनुसार अथवा अधीन किया गया प्रत्येक अवधारण (जिसके अन्तर्गत वसूल किये गये उपकर की धनराशि भी है) इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार प्रचारित विज्ञप्ति तथा किया गया अवधारण तथा वसूल किया गया उसको समझा जायेगा मानो धारा 2 और 3 तथा 5 से 8 तक की धारायें सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हों।

(3) भारत का संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) में की गयी व्रूवस्था के अधीन रहते हुए, यू0 पी0 शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऐक्ट, 1938 की धारा 29 के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद पिनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 20 के अधीन किसी अधिकार का प्रयोग अथवा अभिप्रेत प्रयोग करके 26 जनवरी, 1950 तथा निश्चित दिनांक के बीच प्रचारित प्रत्येक विज्ञप्ति, लगाया गया उपकर तथा किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया कार्य जो वैध तथा सम्यक् रूप से प्रचारित, लगाया गया, किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया होता यदि उक्त धारायें इस अधिनियम की धारा 3 के समरूप होती – किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या ग्राह्य के होते हुए भी विधि की दृष्टि से वैध तथा सम्यक् रूप से प्रचारित, लगाया या किया गया अथवा करने से छोड़ दिया गया समझा जायेगा और यह भी समझा जायेगा कि वह वैध तथा सम्यक् रूप से प्रचारित हुआ है, लगाया गया है, किया गया है अथवा करने से छोड़ दिया गया है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

नियम

10–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) रीति तथा आकार जिसमें धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन कलेक्टर को प्रमाण–पत्र अग्रसारित किय जायेगा ;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सूचना या आंकड़े एकत्र करना;

(ग) आकार तथा रीति जिसमें कोई भी विवरण–पत्र तैयार तथा प्रस्तुत किया जायेगा ;

[1][(ग–1) लाइसेंस के लिये प्रार्थना–पत्र का आकार, और इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के निबन्धन और शर्त तथा लाइसेंस दिये जाने के लिये लिया जाने वाला शुल्क या विलम्ब शुल्क।]

(घ) विषय, जो नियत किये जाने वाले हो या नियत किये जायं।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन नियम बनाने के अधिकारी के अन्तर्गत ऐसे नियमों को बनाने का अधिकार भी है जिनकी प्रयुक्ति भूतलक्षी (general aapplication) होगी किन्तु इस प्रकार बनाये गये नियम 26 जनवरी, 1950 से पूर्व के लिये प्रभावी न हो सकेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रक्खे जायेंगे तथा ऐसे अकरणों, परिष्कारों तथा परिवर्द्धनों (Omissions, alterations and additions) के अधीन रहेंगे जिन्हें राज्य विधान मण्डल उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार प्रस्तुत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूतलक्षी प्रयुक्ति वाला कोई भी नियम तब तक प्रवृत्त नहीं होगा जब कि विधान सभा के समक्ष इसकी प्रति रखने के पश्चात् 14 दिन व्यतीत न हो गये हों।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1960 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।